प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दि० 12.9-18 को पेश हो।

9/18 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। प्रति० के सम्मन बाद तामील शा० का० हैं। प्रति० नं० 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित है। एक-तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रति० नम्बर 1 से 3 के द्वारा आपसी सहमति का राजीनामा पेश किया। सा.का. हों। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के राजीनामे पर उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा राजीनामे को सुन समझ व सहीभान कर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी किये गये। पक्षकारों की पहचान विद्वान अधिवक्ता व स्वतंत्र गवाहान द्वारा की गई। राजीनामे को पक्षकारों द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त राजीनामा तस्दीक किया

वादी

इकरार

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहल हुक्म में

आकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी नम्बर 5 द्वारा जवाब दावा पेश किया। copy दिलाई गई, शा. का. हो।

पक्षकारान द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का सलावद रूई दिनांक 5.7.18 के अनुसार आपसी सहमति का विभाजन पत्र प्रस्तुत कर उक्त विभाजन पत्र अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने पर सहमति जाहिर की।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा वाद वादी हस्ब राजीनामा स्वीकार करने के कथन किये।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी नं. 5 के जवाब, आपसी सहमति का राजीनामा एवं वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात का सम्यक अनुशीलन किया गया।

हस्ब राजीनामा पक्षकारों के मध्य समस्त विवाधक बिन्दुओं का अवसान हो गया है, लिहाजा राजीनामे अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि प्रकरण में रिकार्ड की दुरूस्ती किये जाने का आदेश मि0 नं0 9/18 U/S. 136 L.R Act में दिनांक 10.5.18 को पारित किया जाकर दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये

नम्बर अहक हुक्म में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	थी किन्तु कम्प्यूटर में तकनीकि समस्या के कारण उक्त डिक्री आदेश का अमल दरामद नहीं किया जा सका। इस बाबत तहसीलदार राठ मण्डी के पत्र दि० 31.5.18 को प्रस्तुत किया गया है साथ ही इस न्यायालय के निर्णय दि० 10.5.18 U/s. 136 L.R. Act की प्रति प्रस्तुत की गई है।	

हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम डींगली सं. 2073-76 खाता नं. 223 पर खसरा नं. 151 रकबा 1.04 हैक्टर पर वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है जिसमें वादी हि० 1/6, प्रति० नं. 1 हि० 1/6, प्रति० नं. 2 हि० 1/4, प्रति० नं. 3 हि० 1/6 व प्रति० नं. 4 हि० 1/4 दर्ज है। उक्त भूमि का हिस्सा सिवाय प्रति० नं. 4 औद्योगिक एवं प्रति० नं. 4 की भूमि की किस्म बारानी तृतीय है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम डींगली की भूमि ख०नं० 151 (रकबा) 1.04 हैक्टर का पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम पक्षकार मय विवरण	ख.नं.	रकबा	किस्म
1)	अख्तरदीन पुत्र अमीचन्द मेवाती मुसलमान सा. दादर जिला अलवर	151 / किता 1	0.17 / 0.17 है	औद्योगिक / 1
	आसरदीन पुत्र अमीचंद मेवाती मुसलमान सा० दादर जिला अलवर	151 / किता 1	0.17 / 0.17 है	औद्योगिक / 1

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(3) समीर पुत्र सलीम जाति मुसलमान नि॰ सुकेता 151 0.27 उद्योग किता 1 0.27 है. ४ (4) हफीजन पत्नी रहमतुल्ला 151 0.17 उद्योग जाति मुसलमान नि॰ किता 1 0.17है. x मेवाती सा॰ अलवर (5) जानकीबाई पत्नी देवा 151 0.26 बारानी जाति भील सा॰ डीगसी किता 1 0.26 है दुर्गम x रिपोर्ट पटवारी दि॰ 5.7.18 एवं उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा इस आदेश का भाग होगा। तदनुसार डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। नक्शे में तामील हो। निर्णय आज दि॰ 12.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। कृष्णगोपाल जोशी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी